Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Service Appeal No.- 64/2023

Vishnu Dev Sharma ..... Appellant.

Versus

The State of Bihar ..... Respondent.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	29.09.2023	**आदेश** प्रस्तुत अपील जिला पदाधिकारी, पूर्णिया के आदेश ज्ञापांक–660/सा0 दिनांक–01.04.2023 के विरूद्ध दायर किया गया है। अपीलार्थी को सुना। इनके विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी श्रीनगर थाना में सर्किल नं0–2/3 के रूप में चौकीदार के पद पर पदस्थापित थे। इनके द्वारा हटिया के दिन दिनांक–23.07.2018 को जानवर लदे टेम्पू चालक से अवैध राशि वसूलने के झूठे आरोप के आलोक में ज्ञापांक–1907 दिनांक–01.09.2018 को निलंबित करते हुए अनुमंडल कार्यालय, बायसी मुख्यालय में प्रतिनियुक्त किया गया। पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के पत्रांक–2083 दिनांक–24.07.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करते हुए अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सदर, पूर्णिया को संचालन पदाधिकारी तथा अंचल अधिकारी, श्रीनगर को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। इनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए कहा गया कि ये कॉपरेटिव बैंक में रात्रि प्रहरी के रूप में प्रतिनियुक्त थे तथा अगले दिन 10 बजे पूर्वाह्न में श्रीनगर थाना में उपस्थिति दर्ज करते हुए चाय के दुकान पर ज्ञात हुआ कि इन्हें निलंबित कर दिया गया है। जिसमें इन्हें दुश्मनी के कारण फँसाया गया है। जिससे इनकी आर्थिक हालात को काफी धक्का लगा है। विभागीय कार्यवाही के आधार पर इन्हें चार वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने का दंड अधिरोपित किया गया। इनका आगे कथन है कि जिला पदाधिकारी, पूर्णिया का आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। इनके द्वारा कोई भी अवैध कृत्य नहीं किया गया है। इनके सेवाकाल में कभी भी इनके विरूद्ध कोई शिकायत प्रतिवेदित नहीं है। उपस्थापन पदाधिकारी का प्रतिवेदन है कि अपीलार्थी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप के संबंध में थाने में कोई लिखित आवेदन नहीं है। संचालन पदाधिकारी द्वारा भी इनके विरूद्ध गठित आरोप को प्रमाणित नहीं बताया गया है। अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया तथा इनके स्पष्टीकरण पर बिना विचार किये दंडादेश पारित किया गया है जो सही नहीं	

Web Copy, Not Official.

		है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। अपीलार्थी को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में क्रमशः	
	लगातार 29.09.2023	संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप के आलोक में प्रपत्र–'क' गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है जिसमें संचालन पदाधिकारी ने सभी तथ्यों पर सम्यक् विचारोपरांत यह पाया है कि यद्यपि अपीलार्थी के विरूद्ध थाना में किसी प्रकार का लिखित साक्ष्य नहीं पाया गया है तथापि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर, पूर्णिया द्वारा जाँच में अपीलार्थी को दोषी पाया है। अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अधिरोपित दंड खंडित हो सके। अतः उपर्युक्त के आलोक में जिला पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पारित आदेश को संपुष्ट करते हुए अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख वापस भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web Copy. Not Official.

Web Copy. Not Official.